

4/11/14

अभिलेख उपस्थापित। सत्य नाथना गविदास पिता स्व०
पत्नीया गविदास उपस्थित। घोटासीन पदाधिकारी अन्य कार्य
में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 11/11/14 को रखें।

310312

11/11/14

अभिलेख उपस्थापित। सत्य नाथना गविदास पिता स्व० पत्नीया
गविदास उपस्थित। दस्तावेज दाखिल किया गया है। एका
कर्मचारी का उचित प्रमाण अथवा अभिलेख दिनांक 11/11/14
को रखें।

310310

7/11/14

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।

मंसुम
मंसुम
मंसुम

20/11/14

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस नाममा प्राप्त। विपक्षी उपस्थित। 57 के पास
Additional Deputy Commissioner, Santkhab Pargana
Dumka Judgment copy एवं म.प (6) के कोर्ट का
आवेदन पत्र के साथ दाखिल किया है। सिलका अपलोड
किया। लगेचित कागजात एवं अज्ञात वस्तु विपक्ष
की जांच प्रतिकूल एवं अज्ञात वस्तु विपक्ष
एवं मंसुम-मिडीयम, मंसुम के मांगू करें।
अभिलेख दिनांक 4/7/14 को रखें।

लेखापत्र।

मंसुम

मंसुम
मंसुम

31/12/14

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।

मंसुम
मंसुम

मंसुम
मंसुम

सत्य नाथना गविदास पिता स्व०

4/11/14

05-01-2021

अभिलेख उपस्थापित।

राजदत्त उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार अवैध 'सुंदेहास्पार्ट पंजी- II' रैगन को भूमि सहाय पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि मौजा - बसआ, थाना नं. - 692 के गैरमजदूआ खाता सं. - 24/66 के अंश टाग नं. - 32 का अंश स्क्वा 00-06-00 धू किस्म - पत्नी-कटीम अनमंडल पदाधिकारी, गोइडा के बंटोवस्ती वाट संख्या - 228/1965-66 एवं अपर उपायुक्त संचाल परगाना दुमका रेगमिल अपील सं. - 184/1966-67 पारित आदेश दिनांक - 02.03.1967 के माध्यम से पचीसा रविदास पिता - हितु रविदास को प्राप्त हुआ है, जिसकी ध्यायाप्रति संलग्न है। प्रसंगत भूमि चौड़ी - 30 - रास्ता, दू - सतन रविदास, पू - धोलक रविदास, पश्चिम - राज रविदास है। उक्त भूमि पर मकान मय लहन के रूप में रखल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 60/2016-17 पचीसा रविदास पिता-हितु रविदास, का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवदीय निदेशानुसार अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 60/2016-17 पचीसा रविदास पिता-हितु रविदास का जांच प्रतिवेदन का जांच किया। जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना नं०-692 के गैरमजरूआ खाता सं०-24/66 के अंदर दाग नं०-32 का अंश रकबा 00-06-00 घूर किस्म- परती-कदीम अनुमंडल पदाधिकरी, गोड्डा के बन्दोवस्ती वाद संख्या - 228/1965-66 एवं अपर उपायुक्त संधाल परगाना दुमका रे०मिस अपील सं० 184/1966-67 पारित आदेश दिनांक 02.03.1967 के माध्यम से पचीसा रविदास पिता-हितु रविदास को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि चौहदी - उ०-रास्ता, द०-सतन रविदास, पू०-घोलटन रविदास, पश्चिम-राजु रविदास है। उक्त भूमि पर मकान मय सहन के रूप में दखल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अमिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

/251